हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

7/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप० । प्रकरण में अपीलांट वकील की बहससुनी। वास्ते बहस रेस्पोंडेन्ट वकील पत्रावली दिनांक 8/10/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

ह०/- अहमद मीना

8/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17/10/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

17/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 28/10/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

28/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष द्वारा मूल प्रा.पत्र अपील नामांतकरण पर बहस की गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं अपील प्रा.पत्र, जवाब प्रा.पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी/अपीलांटी प्रा.पत्र नामांतकरण अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांटी अपील विरुद्ध नामांतकरण संख्या 205 दिनांक 21/07/2012 स्वीकार किया जाकर हस्ब ग्राम ग्राम पंचायत आंवती द्वारा खोले पंचायत आंवती के निर्णय दिनांक 21/07/2012 गये नामांतकरण संख्या 205 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को निर्देश से रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामांतकरण की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामांतकरण फैसल करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर

ह०/-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। २५६ उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.)बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 01/2025
प्रकरण दायर दिनांक 06.03.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक 28.10.2025

उनवान

1. कमली देवी उम्र 65 वर्ष पुत्री रामपाल पत्नि लोहडीराम मीना जाति मीना निवासी चौबडीवाला, गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान

अपीलान्ट/प्रार्थीया

बनाम

1. ग्राम पंचायत भांवती जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भांवती तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान
2. कजोड पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम भांवती तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान
3. टूण्डाराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम भांवती तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012

निर्णय दिनांक 28.10.2025

अपीलांटी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध नामान्तकरण जर्ये वकील श्री जगदेव कसाना के इस आशय से पेश किया कि अपीलांटी कमली देवी, रामपाल पुत्र धन्ना जाति मीना साकिन ग्राम भांवती तहसील बांदीकुई की जाइन्दा पुत्री है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 उसके खास भाई है। यह है कि अपीलांट के पिता रामपाल पुत्र धन्ना की पुश्तैनी अविभाजित सम्पत्ति में भूमि खसरा नंबर 437, 438, 443, 444, 445, 446, 447,453 कुल खसरे 8 कुल क्षेत्रफल 2.5300 हैक्टेयर रामा भांवती तहसील बांदीकुई है उक्त रामपाल पुत्र धन्ना मीना का लगभग सन् 2006 को देहान्त हो चुका है। तथा उक्त रामपाल अपने वारिसान में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट 02 एवं 03 को छोडकर फौत हुआ है जो रामपाल के उत्तराधिकारी है तथा उसकी उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त में अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 को प्रत्येक को हिस्सा 1/3–1/3 के बराबर–बराबर के हक हकूक खातेदार एवं कब्जा काश्त प्राप्त हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट भी 1/3–1/3 की खातेदार काश्तकार हुए है तथा तदनुसार खाते खतौनी जमाबंदी इत्यादि राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने बात फौतगी रामपाल कपटपूर्वक अपीलांट ने हर आम व खास से छिपाकर अदम जानकारी एवं अदम सूचना में अपीलांट के पिता रामपाल की खातेदारी की समस्त भूमि वादग्रस्त का नामान्तकरण साजिशी तौर पर केवल रेस्पोडेन्ट 02 एवं 03 के हक में खुलवा कर केवल अपने नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड करा ली तथा अपीलांट के हक में खातेदारी दर्ज नहीं होने दी तथा फिर अपनी उक्त नाजायज साजिशी दर्ज कराई गई खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट के हक हकूक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 437, 438, 443, 444, 445, 446, 447, 453 कुल खसरे 8 कुल क्षेत्रफल 2.53000 हैक्टेयर रामा भांवती तहसील बांदीकुई सम्पूर्ण को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने अपने नाम रेस्पोडेन्ट

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 01 के साथ मिलकर अपने नाम नामान्तकरण दिनांक 21.07.2012 को खुलवा लिया जो कि बिना जॉच पडताल खुलवाया गया था। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को भूमि रामपाल के किसी हिस्से पर कतई किसी प्रकार के अधिकार स्वत्व व कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त नामान्तकरण कतई बेसर व फैक है तथा काबिले मंसूख है। उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने साजिशी तौर पर अपीलांट तथा हर आम व खास से छिपाकर कतई गुपचुप बिना सूचना एवं आम जानकारी अपने हक में तहसीलदार बसवा ने दिनांक 21.07.2012 को नामान्तकरण संख्या 205 खुलवाकर तस्दीक करा लिया है जिसकी अपीलांट को अब से पूर्व अथवा पश्चात कभी कोई सूचना व जानकारी नहीं रही ना ही दी गयी तथा अपीलांट की दिनांक 27.11.2024 को नकल लेने से पूर्व कभी कोई जानकारी नहीं हो सकी है तथा अब जानकारी होने पर यह अपील अंदर मियाद पेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 उक्त नामान्तकरण दिनांक 21.07.2012 की आड में अपीलांट को भूमि वादग्रस्त से बेदखल करने की नियत से जबरन अपने पिता के हिस्से की भूमि से बेदखल करेंगे तथा वे स्वयं भूमि वादग्रस्त को किसी दीगर सख्स व संस्था को रहन बय करेंगे तथा अपीलांट ने रोकने की कोशिश की तो वे अपीलांट को किसी संगीन जुर्म में झूंठा फंसाकर उसकी हत्या कर देगे प्रार्थी अपीलांट के नामान्तकरण के संबंध में जानकारी दिनांक 17.02.2025 को सर्वप्रथम हुई है व नकल प्राप्त करते ही अपील पेश की है तथा रेस्पोडेन्ट को पाबंद नहीं किया गया तो वे फौरी तौर पर बिना अधिकार साजिशी तौर पर तैयार कराया गया नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012 की आड में भूमि वादग्रस्त से अपीलांट को जबरन बेदखल कर कब्जा गासिवाना कर भूमि वादग्रस्त को किसी बैंक संस्था को रहन बय कर देगे जिससे अपीलान्ट को बेवजह मुकदमे बाजी में फंसना पडेगा जो बाय से बर्बादी पक्षकारान होगी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी इस अमर से प्रतिबंधित किया जावे कि वे उक्त नामान्तकरण दिनांक 21.07.2012 तथा उसके आधार पर अपने नाम साजिशी तौर पर दर्ज करा ली गयी खातेदारी से अपीलांट को जबरन बेदखल करने अथवा स्वयं अथवा अपने नौकर, एजेन्ट के जरिये कब्जा नाजायज करने से बाज व मुमतनाह रहे तथा रहन बय नहीं करे। खर्चा रेस्पोडेन्ट से अपीलांट को दिलवाया जावे तथा अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ मुफीदे अपीलांट हो बहक अपीलांट फरमाई जावें। तथा प्रकरण को पुनः जॉच कर नामान्तकरण हेतु तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड किया जावें। नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012 जो मृतक रामपाल की विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के हक में खोला गया है। जबकि अपीलांट मृतक रामपाल की जायंदा पुत्री है माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विरासत के नामान्तकरण के दिशा निर्देश परिपत्र 2009 की अनुपालना में मृतक के सभी वारिसान का नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012 ग्राम पंचायत भांवती बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार बांदीकुई को रिमाण्ड करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी।रेस्पोडेन्ट संख्या 01 न्यायालय उपस्थित आकर अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है प्रकरण वर्ष 2012 से संबंधित है वर्तमान सरपंच व वीडीओं का कोई प्रकरण नहीं है। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से एड. श्री रामकृपाल मीना ने पावर एवं जबाब पेश किया कि अपील का पैरा नं. 01 सही है स्वीकार है। अपील का पैरा नं. 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है अस्वीकार है मिन विपक्षीगण/रेस्पोडेन्टगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पो. संख्या 01 के द्वारा पूरी तरह से जांच पडताल करके ही मिन विपक्षीगण के हक में नामान्तकरण तस्दीक

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है क्योंकि अपीलांट जो कि अपनी ससुराल थाबडीवाली मे अपने पति के साथ रहती है तथा वह अपने पति की भूमि पर काबिज है मिन विपक्षीगण के द्वारा अपने पिता के स्वर्गवास के बाद नामान्तकरण खुलवाने की पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को रही है तथा पूर्ण सहमति व स्वीकृति रही है उसके बाद ही मिन विपक्षीगण के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया गया था जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलांट को रही है अब अपीलांट के द्वारा दीगर लोगो के बहकावे में आकर न्यायालय को गुमराह करते हुये कतई गलत व झूँठे तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की है जो कि सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपील का पैरा नंबर 03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है भूमि का नामान्तकरण खुलने के बाद से व पूर्व से ही मिन विपक्षीगण भूमि पर काबिज काश्त होकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है व आज दिन मौके पर काबिज है जबकि अपीलांट जो कि अपनी सुसराल मे आबाद है जिसको नामान्तकरण की पूर्व से ही बखूबी जानकारी रही है अब अपीलांट के द्वारा दीगर लोगो के बहकावे मे आकर यह कतई गलत तथ्यों के आधारों पर अपील पेश की है जो आधारहीन व मियाद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है अपील का पैरा नंबर 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है मिन विपक्षीगण/रेस्पोडेन्टस जो कि भूमि खातेदार काश्तकार है तथा बजमाने बुजुर्गान से काबिज काश्त होकर मुफीद होते चले आ रहे है अपीलांट को किसी भी कानून के तहत मिन विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का या पाबंद करवाने का कोई हक या अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील का पैरा नंबर 05 जिस प्रकार तहरीर किया गया है जो कि गलत है अस्वीकार है मिन विपक्षीगण के पिता रामपाल का स्वर्गवास दिनांक 06.10.2006 को हो जाने के उपरांत राजस्व अधिकारियों ने पूर्ण जांच पडताल करने के उपरांत ही मिन विपक्षीगण के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया है जो विधि सम्मत सही है। अपील का पैरा नंबर 06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है मिन विपक्षीगण के हक में नामान्तकरण दिनांक 21.07.2012 को तस्दीक किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व से रही है अपीलांट के द्वारा जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेशकी है जो विधि सम्मत नहीं होन से व मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपील का पैरा नंबर 07 कानूनी है जबाब मोहताज नहीं है। इस्तदुआ अपील गलत है अस्वीकार है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट जो कि मीना समुदाय के सदस्य है जो कि आदीवासी की श्रेणी में आते है तथा हिन्दू विधि लागू नहीं होती है इस कारण अपीलान्ट को अपने पिता की भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट को अपने पिता के स्वर्गवास के पास मिन विपक्षीगण के हक में जब नामान्तकरण खोला गया उस समय अपीलान्ट की पूर्ण मौखिक सहमति व स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त ही मिन विपक्षीगण के हक में तस्दीक किया गया था जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को रही है अब अपीलान्ट को दीगर लोगो के द्वारा बहकाये जाने के कारण व भूमि की कीमतें अधिक हो जाने के कारण अपीलान्ट के मन में लालच आ गया और अपीलान्ट के द्वारा अब मियाद बाहर जाकर कतई गलत तथ्यों के आधारों पर न्यायालय हाजा के समक्ष झूँठे तथ्यों के आधारों पर अपील पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के भात जानमे आदि जो भी उत्सव अपीलान्ट के द्वारा किये गये तथा अपने बच्चों के शादी विवाह किये गये उनमे मिन विपक्षीगण के द्वारा लाखो रूपये का खर्चा किया गया तथा हर समय अपीलान्ट का सम्मान किया तथा वार त्यौहार पर अपीलान्ट का सम्मान व भेंट आदि दी गयी जिसमें मिन विपक्षीगण के द्वारा लाखों रूपये का खर्चा किया जा चुका है लेकिन अब अपीलान्ट के द्वारा दीगर लोगो के बहकावे में आकर मिन

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है क्योंकि अपीलांट जो कि अपनी ससुराल चौबडीवाला में अपने पति के साथ रहती है तथा वह अपने पति की भूमि पर काबिज है मिन विपक्षीगण के द्वारा अपने पिता के स्वर्गवास के बाद नामान्तकरण खुलवाने की पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को रही है तथा पूर्ण सहमति व स्वीकृति रही है उसके बाद ही मिन विपक्षीगण के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया गया था जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलांट को रही है अब अपीलांट के द्वारा दीगर लोगो के बहकावे में आकर न्यायालय को गुमराह करते हुये कतई गलत व झूँठे तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की है जो कि सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपील का पैरा नंबर 03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है भूमि का नामान्तकरण खुलने के बाद से व पूर्व से ही मिन विपक्षीगण भूमि पर काबिज काश्त होकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है व आज दिन मौके पर काबिज है जबकि अपीलांट जो कि अपनी सुसराल मे आबाद है जिसको नामान्तकरण की पूर्व से ही बखूबी जानकारी रही है अब अपीलांट के द्वारा दीगर लोगो के बहकावे मे आकर यह कतई गलत तथ्यों के आधारों पर अपील पेश की है जो आधारहीन व मियाद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है अपील का पैरा नंबर 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है मिन विपक्षीगण/रेस्पोडेन्टस जो कि भूमि खातेदार काश्तकार है तथा बजमाने बुजुर्गान से काबिज काश्त होकर मुफीद होते चले आ रहे है अपीलांट को किसी भी कानून के तहत मिन विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का या पाबंद करवाने का कोई हक या अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील का पैरा नंबर 05 जिस प्रकार तहरीर किया गया है जो कि गलत है अस्वीकार है मिन विपक्षीगण के पिता रामपाल का स्वर्गवास दिनांक 06.10.2006 को हो जाने के उपरांत राजस्व अधिकारियों ने पूर्ण जांच पडताल करने के उपरांत ही मिन विपक्षीगण के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया है जो विधि सम्मत सही है। अपील का पैरा नंबर 06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है मिन विपक्षीगण के हक में नामान्तकरण दिनांक 21.07.2012 को तस्दीक किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व से रही है अपीलांट के द्वारा जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेशकी है जो विधि सम्मत नहीं होन से व मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपील का पैरा नंबर 07 कानूनी है जबाब मोहताज नहीं है। इस्तदुआ अपील गलत है अस्वीकार है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट जो कि मीना समुदाय के सदस्य है जो कि आदीवासी की श्रेणी में आते है तथा हिन्दू विधि लागू नहीं होती है इस कारण अपीलान्ट को अपने पिता की भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट को अपने पिता के स्वर्गवास के पास मिन विपक्षीगण के हक में जब नामान्तकरण खोला गया उस समय अपीलान्ट की पूर्ण मौखिक सहमति व स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त ही मिन विपक्षीगण के हक में तस्दीक किया गया था जिसकी पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को रही है अब अपीलान्ट को दीगर लोगो के द्वारा बहकाये जाने के कारण व भूमि की कीमतें अधिक हो जाने के कारण अपीलान्ट के मन में लालच आ गया और अपीलान्ट के द्वारा अब मियाद बाहर जाकर कतई गलत तथ्यों के आधारों पर न्यायालय हाजा के समक्ष झूँठे तथ्यों के आधारों पर अपील पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के भात जानमे आदि जो भी उत्सव अपीलान्ट के द्वारा किये गये तथा अपने बच्चों के शादी विवाह किये गये उनमे मिन विपक्षीगण के द्वारा लाखो रूपये का खर्चा किया गया तथा हर समय अपीलान्ट का सम्मान किया तथा वार त्यौहार पर अपीलान्ट का सम्मान व भेंट आदि दी गयी जिसमें मिन विपक्षीगण के द्वारा लाखों रूपये का खर्चा किया जा चुका है लेकिन अब अपीलान्ट के द्वारा दीगर लोगो के बहकावे में आकर मिन

Scanned with OKEN Scanner

विपक्षीगण से नाराज होने के कारण यह अपील कतई गलत तथ्यों के आधारों पर पेश की है जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट सरसरी तौर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पर बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। हमने प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के एवं उसमें संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भांवती द्वारा नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012 फैसल करते समय मृतक रामपाल के समस्त विधिक वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की गयी। ना ही अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी नहीं किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलांट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपीलांट अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012 ग्राम पंचायत भांवती स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भांवती के निर्णय दिनांक 21.07.2012 द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 205 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को इस निर्देश से रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

28/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

विपक्षीगण से नाराज होने के कारण यह अपील कतई गलत तथ्यों के आधारों पर पेश की है जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट सरसरी तौर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पर बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। हमने प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के एवं उसमें संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भांवती द्वारा नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012 फैसल करते समय मृतक रामपाल के समस्त विधिक वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की गयी। ना ही अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी नहीं किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलांट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपीलांट अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 21.07.2012 ग्राम पंचायत भांवती स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भांवती के निर्णय दिनांक 21.07.2012 द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 205 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को इस निर्देश से रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

28/10/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner